

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्रमांक ७३ / 16 / चार / ब-1 / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३ / 01 / 2018

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय: क्रय पर प्रतिबंध वर्ष 2018 ॥

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्र.08 / 2018 / डी.एम.सी. / ब-7 / चार दिनांक 02.01.2018

—:—

वित्त विभाग द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा क्रय पर प्रतिबंध के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं । निम्नानुसार मदों को संदर्भित पत्र द्वारा लागू प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाती है :-

1. रुपये 5,000/- तक डाक टिकिट एवं आकस्मिक व्यय ।
2. शासकीय प्रेस की डायरी एवं कैलेण्डर ।
3. चिकित्सालयों में उपचार कार्य में आने वाली सामग्री, लिनिन, गॉज, बैण्डेज, पट्टी, रिजेंट एवं अन्य सामग्री जो उपचार के उपयोग में लाई जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क० ९४/१६ / चार/ब-१/२०१८
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २३ /०१/२०१८

- १- महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- २- आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार समस्त कोषालय एवं उप कोषालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- ३- वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जाय।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग